राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– प. 2(1)कार्मिक/क–2/अ.प्र./91 जयपुर, दिनांक : 03-05-2018

परिपत्र

समस्त अति0 मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

विषयः–राजकीय सेवा में आवश्यक अस्थायी रूप से पदोन्नति पर वेतन स्थिरीकरण के संबंध में दिशा–निर्देश।

कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 13.01.2014 के अधिक्रमण में पूर्व में उक्त विषय में जारी परिपत्र संख्या प. 2(1)कार्मिक/ क–2/अ.प्र./91 दिनांक 04.06.2008 के भाग–3 के बिन्दु सं.–11 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

11. वेतन स्थिरीकरण

"आवश्यक अस्थायी पदोन्नति के आधार पर पदोन्नत होकर कार्यरत राजसेवक का वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम–26ए के अन्तर्गत होगा लेकिन यदि पदोन्नत राजसेवक को अनुभव में छूट प्रदान की गयी हो तो ऐसे कर्मचारी का पदोन्नत पद की वेतन श्रृंखला (पे–लेवल) में न्यूनतम पर अथवा स्वयं के मूल वेतन पर, जो भी लाभप्रद हो, पर ही स्थिरीकरण होगा जब तक कि उसे पदोन्नत पद के लिये नियमों में विहित अनुभव अवधि का अनुभव पूरा प्राप्त हो जाये। आवश्यक अस्थायी रूप से पदोन्नत राजसेवक को अनुभव में छूट प्रदान कर पदोन्नत किया गया हो तो जब तक उसे पदोन्नत पद पर विहित अनुभव पूरा प्राप्त नहीं हो जाए तब तक उसे पदोन्नति की वार्षिक वेतनवृद्धियां देय नहीं होगी।"

यह संशोधन दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होगा।

उक्त परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 211800037 दिनांक 26.03.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
8. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर/जोधपुर।

संयुक्त शासन सचिव

Guru ji//2018/Circular-2